न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 487 सन 2018
अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. भानीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र भीनराम जाति जाट निवासी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. रामी पत्नि भानीराम जाति जाट निवासी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
4. सरोज पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी निवासी बिरकाली तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा बिरकाली चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 15/15 के प0न0 116/26(5) किला न0 3 ता 8/1.518हैक एवं रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 29/28 के प0न0 115/39(6) किला न0 11 ,12 ,20/0.759हैक भूमि प0न0 115/31(7) के किला न0 15 ,16/0.506हैक , 25/0.126हैक , प0न0 116/25(26) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/15 किता 3.795हैक कुल 5.186हैक भूमि स्थित है रोही मोजा बिरकाली बारानी के के खाता संख्या 284 के प0न0 157/27(535) किला न0 13 ,14 ,17 ता 19 ,22 ता 25/2.277हैक प0न0 157/28(551) के किला न0 2 ता 5 व 7 ता 9 12 ता 19 प्रत्येक 0.2270हैक 23/2 की 0.2280 ,24/1 की 0.2280 ,25/0.2270हैक प0न0 157/29(612) के किला न0 3 ता 5 व 7 , 8/1.265हैक भूमि कुल 8.0200हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा रावताराम पुत्र दुदाराम के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा के देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों पर औद हुई है जिनके खाता विभाजन करने पर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 284/8.0200हैक एवं रोही मौजा 6 पीपीएम के खाता संख्या 29/28 की कुल 5.1860हैक एवं रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 15/15 की कुल 1.518हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 284 की कुल 8.0200हैक एवं रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 29/28 की कुल 5.1860हैक एवं रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 15/15 की कुल 1.518हैक भूम में जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-11-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official